

उत्तर प्रदेश शासन/वन विभाग द्वारा मानक शर्तें

(वन अनुभाग-3 शासन, उ0प्र0 की पत्र सं0

7314 / 14-3-980 / 82 दिनांक 31 / 12 / 1984)

01. भूमि हस्तांतरण के बाद भी उनके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो और वह पूर्व की भांति संरक्षित / आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
02. प्रपूजगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
03. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उनके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगा।
04. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाए कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
05. हस्तांतरित विभाग उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेगे और ऐसा किये जाने पर संबंधित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
06. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबंधित वनाधिकारी की देखरेख में करायेगा तथा इस संबंध में बनाए गए मुनारे आदि को भी देख-भाल करेगा।
07. हस्तांतरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु आने पर हस्तांतरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
08. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाए। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जाएगी।
09. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निषुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जाएगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तांतरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रकार का भुगतान किए वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर "एलाइनमेन्ट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा मुख्य अभियन्ता पर्वतीय क्षेत्र, पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608/सी, दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" द्वारा किया जायेगा कि अष्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूली फेर बदलकर पक्का करना होगा, बर्षर्त ऐसा करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण भी आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य संबंधी प्रमाण पत्र के आधार आंकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जाएगा। यदि किसी कारण से वृक्षों


संजय कुमार मिश्रा
परियोजना निदेशक
पी0 आई0 यू0-बागपत
Sanjay Kumar Mishra
Asst Director
-- Baghat

का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो, तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14. हस्तांतरित भूमि से पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किये जायें, का भुगतान विभाग को करना होगा। 1000 मी० एवं 300 मी० से अधिक टाल पर खड़े वृक्षों का पातन निश्चिद्ध है। इसी प्रकार बाज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है ऐसे वृक्षों का पातन निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन के जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊंचा करके इसे सुनिश्चित किया जाएगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों को संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संबंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-रक्षण की संभावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करायेगा।
17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विषिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है, तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जाये जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर आश्वासन प्राप्त हो जाये।

मैं श्री **Sanjay Kumar Mishra**, Project Director, PIU, Baghpat, उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तें मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

Date:

Place: Baghpat


Sanjay Kumar Mishra
Project Director, PIU, NHAI,
Baghpat, Uttar Pradesh
Signature, Seal & Date
410 आर० यू०-बागपत
Sanjay Kumar Mishra
Project Director
P.I.U. - Baghpat